# न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / 23 / 2019

मोहनदेई पुत्री स्व0 कमलसिंह पत्नि साहबसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर ।

....अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार नदबई जरिये पैरोकार सरकार ।

असल रेस्पो0

2– श्रीमति कैलाशी बेवा स्व0 कमलसिंह जाति जाट निवासी ग्राम घेरा तहसील नदबई ।
3– मोहनसिंह
4– सोहनसिंह
5– भूपसिंह
} पुत्रगण कमल सिंह जाति जाट निवासी घेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

....... तरतीवी रेस्पो0

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 158 दिनांक 09.05.2018 द्वारा तहसीलदार नदबई ।**

उपस्थित :

1. एड0 विमल कुमार , अभिभाषक अपीलाण्ट ।
2. एड0 महावीर सोलंकी अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।
3. राजकीय अभिभाषक।

**निर्णय** **दिनांक 02.03.2021**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम (मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम) विरुद्ध नामान्तकरण सं0 158 तहसीलदार नदबई आदेश दि0 09.05.2018 इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार नदबई ने अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पो0 02 लगायत 05 के हक में पिता मृतक कमलसिंह पुत्र रामखिलाडी

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

की विरासत का नामान्तकरण संख्या 158 वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण खोले जाने के दौरान पक्षकारान को सुनवाई का कोई मौका नही दिया गया है, जिसके कारण राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम मोहनवती गलत दर्ज कर दिया गया है, जबकि प्रार्थिया का सही नाम मोहनदेई है। प्रार्थिया के अन्य सभी दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड व बैंक पास बुक में भी मोहनदेई दर्ज है। प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण वह खातेदारी पर मिलने वाले लाभों से वंचित हो रही है। प्रार्थिया का नाम नामान्तकरण में मोहनदेई के स्थान पर मोहनवती गलत दर्ज कर दिया है। प्रार्थिया ने तहसीलदार नदबई को अपने सभी अन्य दस्तावेजों को दिखाते हुए नाम दुरूस्त करने के लिए निवेदन किया तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया।

इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर दाखिल खारिज संख्या 158 दिनांक 09.05.2018 को अपीलान्ट के हक तक निरस्त कर राजस्व रिकार्ड में मोहनवती के स्थान पर प्रार्थिया का सही नाम मोहनदेई पुत्री कमलसिंह दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट के योग्य अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि तहसीलदार नदबई द्वारा मृतक कमलसिंह की विरासत का नामान्तकरण संख्या 158 दिनांक 09.05.2018 वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 02 लगायत 05 के हक में खोला गया है। जिसमें अपीलान्ट/प्रार्थिया मोहनदेई का नाम मोहनवती गलत दर्ज कर दिया है, जबकि उसका सही नाम मोहनदेई ही है। आधारकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड व बैंक पास बुक आदि में भी उसका सही नाम मोहनदेई दर्ज है। राजस्व अभिलेख में नाम गलत दर्ज होने से अपीलान्ट को किसान केडिट एवं कृषि कार्य हेतु मिलने वाले सभी लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। अपीलाण्ट के अभिभाषक ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर राजस्व रिकार्ड में उसका सही नाम मोहनदेई दर्ज करने की प्रार्थना अपनी बहस में की है।

अपील देरी के सम्बन्ध में उनका कहना है कि प्रार्थीगण को इसकी कोई जानकारी नही थी कि नाम दुरूस्ती के लिए दाखिल खारिज की अपील करनी होगी। अभिभाषक से कानूनी सलाह मिलने पर दिनांक 18.09.2019 को नकल लेने के उपरान्त नकल मिलते ही

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने देरी को माफ करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्ट का नाम मोहनवती के स्थान पर मोहनदेई राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

राजकीय अभिभाषक ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपील म्याद बाहर पेश की गई है। अपीलान्ट ने अपना नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होना बताया है। जॉच कराया जाना उचित होगा।

हमने योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। प्रथमतः म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है, जिसके ताईद में शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर, अपील की मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 158 दि0 09.05.2018 वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई का अवलोकन किया गया। यह नामान्तकरण स्व0 कमलसिंह की विरासत का खोला जाकर स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण में अन्य वारिसान के साथ अपीलान्ट का नाम मोहनवती दर्ज है। अपीलान्ट का कहना है कि उसका सही नाम मोहनदेई है। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आधारकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक तथा मतदाता पहचान पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की हैं। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलान्ट का असली नाम मोहनदेई ही हैं।

प्रस्तुत दस्तावेजात में अपीलान्ट का नाम मोहनदेई दर्ज है। अपीलाधीन नामान्तकरण में प्रथम दृष्टया लिपिकीय त्रुटि होना प्रतीत होता है। अस्तु नामान्तकरण संख्या सं0 158 दिनांक 09.05.2018 में दर्ज मोहनवती का नाम कलमजन कर उनके स्थान पर मोहनदेई पुत्री कमलसिंह दर्ज किया जाना उचित पाते है।

**<u>अतः आदेश है कि :–</u>**

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार नदबई को निर्देशित किया जाता है कि नामान्तकरण सं0 158 दि0 09.05.2018 वाके ग्राम घेरा तहसील नदबई में मोहनवती पुत्री कमलसिंह का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर मोहनदेई पुत्री कमलसिंह दर्ज किया जावे, शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर